सूचना विवरणिका

नेशनल हैल्थ मिशन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत **Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO)** के पदो को संविदा पर आन–लाईन काउन्सिलिंग के आधार पर भरे जाने हेतु प्रकाशित सूचना विवरणिका

आयोजक

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

प्रशासनिक भवन, चतुर्थ तल, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर, पटेल नगर,
देहराखास देहरादून,
पिन– 248001 उत्तराखण्ड, भारत
दूरभाष 0135–2273323

वेबसाईट : www.hnbumu.ac.in, ई–मेल : info.hnbumu@gmail.com

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड के अन्तर्गत Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO) के रिक्त पदो को संविदा के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से जनपद वार उपलब्ध रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु आयोजित काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों के लिए नियम, शर्ते एवं महत्वपूर्ण निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड के अन्तर्गत **Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO)** के जनपदवार उपलब्ध रिक्त पदों पर दिनांक 14.03.2021 को आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट एवं चयनित किये गये विकल्पों के आधार पर आन–लाईन काउन्सिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित नियमानुसार आवंटन किये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड द्वारा हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया है।

<u>आन–लाईन काउन्सिलिंग हेतु समय–सारणी निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–</u>

1	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने, निर्धारित प्रपत्र अपलोड करने एवं तैनाती हेतु प्राथमिकतानुसार जनपद का विकल्प भरने की तिथि एवं समयावधि	25.03.2021 (प्रातः 11:00 बजे) से 26.03.2021 (साय 05:00 बजे तक)
2	मेरिट, चयनित विकल्प के आधार पर जनपदवार उपलब्ध सीटों का आवंटन परिणाम वैबसाईट पर अपलोड करने की तिथि	27.03.2021 (सायं 05:00 बजे के बाद)

नोटः आन–लाईन काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी की मेरिट एवं उसके द्वारा चयनित जनपदवार विकल्प के आधार पर नियमानुसार जनपदवार आवंटित सीटों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदवार तैनाती आदेश एवं तैनाती संबंधी अन्य दिशा–निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड, देहरादून कार्यालय स्तर से पृथक से निर्गत किये जायेगें।

<u>ऑन–लाईन काउन्सिलिंग–2021 में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं</u>

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14.03.2021 को परीक्षा में नियमानुसार सम्मिलित हुआ बी0एस–सी0 <u>नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 नर्सिंग (integrated CPHC Curriculum) उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है।</u> राज्य के समस्त नर्सिंग कालेज (पब्लिक, प्राईवेट एवं एम्स ऋषिकेश) से उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों जोकि उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के धारक हो Mid Level Health Provider/ Community Health Officer के पद हेतु अर्ह होगें।

- उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी है, परन्तु दूसरे राज्यों से उपरोक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो Mid Level Health Provider/ Community Health Officer के पद हेतु अर्ह होगे।

आयु सीमा

- सी0एच0ओ0 / एम0एल0पी0एच0 पदो हेतु न्यूनतम 21 वर्ष दिनांक 01.01.2021 को पूर्ण होनी आवश्यक है, एवं अधिकतम आयु सीमा 42 से अधिक नही होनी चाहिए।
- परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

शारीरिक स्वस्थताः—

- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो।

ऑन—लाईन काउन्सिलिंग हेतु आवेदन प्रक्रिया

- आन—लाईन काउन्सिलिंग में आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी जनपदवार रिक्तियों / अर्हता का अवलोकन ध्यानपूर्वक कर लें।
- अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन काउन्सिलिंग के समय समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख / प्रमाण पत्र अभिलेख काउन्सिलिंग के दौरान अपलोड करना अनिवार्य होंगे अन्यथा अभ्यर्थी के उक्त श्रेणी का लाभ नही दिया जायेगा। आरक्षण (EWS/SC/ST/OBC) सम्बन्धी समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड राज्य से जारी होने अनिवार्य है तथा आरक्षण का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

- सी0एच0ओ0 / एम0एल0एच0पी0 परीक्षा उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा नियमानुसार काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण करवा गया हो, को काउॅन्सिलिंग बोर्ड द्वारा कॉउन्सिलिंग के माध्यम से संबंधित जनपद में संविदा के आधार पर उनकी अर्हता, मेरिट, उनके द्वारा चुने गये विकल्प (choice) एवं उस समय उपलब्ध जनपद वार सीटों के आधार पर नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
- अभ्यर्थी को ऑन—लाईन आवेदन करते समय समस्त वाछित सूचनायें भरनी होगी तथा वाछिंत अभिलेखों की स्कैन पी0डी0एफ कॉपी अपलोड करते हुये अपनी प्राथमिकता के क्रम में (In order of Prefrence) जनपद वार च्वाईस लॉक करनी अनिवार्य होगी। इसके उपरान्त अभ्यर्थी इसका प्रिट आउट निकाल कर भविष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखेगें।
- कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा एक बार जनपद आवंटित होने के उपरान्त, आवंटित जनपद को बदला नहीं जाएगा।
- अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग जनपद वार उपलब्ध सीटों की संख्या,एवं अर्हता इत्यादि अन्य विवरण भली—भांति देखकर **ही** अपनी च्वाईस लॉक करायें। यदि किसी जनपद विशेष में तैनाती हेतु अभ्यर्थी इच्छुक **ना** हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उस जनपद विशेष के विकल्प **ना** चयन करें। अभ्यर्थी द्वारा जनपद के चयन के संबंध में हुयी किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय / काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
- काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सीट आवंटन उसके द्वारा आन लाईन आवेदन प्रपत्र में भरी गयी सूचना / विवरण के आधार पर किया जायेगा। परन्तु अभ्यर्थी को आवटित जनपद में तैनाती लेने के समय संबंधित पाठ्यक्रम की अपनी अर्हता के संबंधित समस्त अंक तालिकाये / प्रमाण पत्र / अभिलेख मूल रुप में

संबंधित जनपद के अधिकरी को उपलब्ध कराने अनिवार्य होगें। अन्यथा की दशा में उसको तैनाती नही की जायेगा।

- यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित जनपद के अधिकारी के समक्ष संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही करवा पाता अथवा अभिलेखो की जॉच से यह ज्ञात होता कि अभ्यर्थी पद हेतु निर्धारित मानकानुसार अर्हता नही रखता है तो उसकी तैनाती संबंधित आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

आरक्षण

- अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 काउन्सिलिंग हेतु –2021हेतु अनुमन्य होगा।
- किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, आवेदन करने की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
- ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16–02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैद्यता (validity) को भली–भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगे।
- आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तो/प्रतिबन्धो के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र 2020–21 के लिये मान्य/निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- भूतपूर्व सैनिक से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निम ुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं– (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले, (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। (चयन प्रक्रिया में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नही होगा।)
- ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन माध्यम से काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय–सीमान्तर्गत **<u>ऑनलाईन काउन्सिलिंग पंजीकरण प्रक्रिया</u>** को पूर्ण करते हुए (जनपद च्वाईस लॉक सहित) निम्नलिखित मूल अभिलेखों की स्वः सत्यापित प्रति PDF format में अपलोड़ करनी अनिवार्य होगी :–

1. श्रेणी प्रमाण–पत्र (केवल SC/ ST/OBC/EWS श्रेणी के अभ्यर्थियो हेतु) केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों हेतु।
2. उप–श्रेणी प्रमाण–पत्र (केवल FF/DPW/Ex army/Orphan श्रेणी के अभ्यर्थियो हेतु) केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों हेतु।
3. उत्तराखण्ड के स्थाई/मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र। (यदि आवश्यक हो तो)
4. हाईस्कूल का प्रमाण पत्र
5. बी0एस–सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0 नर्सिंग की मूल उपाधि/प्रोविजनल उपाधि।
6. बी0एस–सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0 नर्सिंग की अन्तिम वर्ष की मार्कसीट।
7. राज्य नर्सिंग काउन्सिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवेदन का प्रमाण पत्र।
8. मान्य पहचान पत्र (आधार कार्ड प्राथमिता)
9. बी0एस–सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0 नर्सिंग पाठ्यक्रम Integrated curriculum in community health निर्धारित पारुप पर (प्रारुप की प्रति संलग्न)

<u>न्यायियक विवाद</u> :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत Mid Level Health Provider/ Community Health Officer काउन्सिलिंग से सम्बन्धित कोई विवाद होने की दशा में उक्त विवाद केवल उत्तराखण्ड न्यायालय के अधीन होगें।

परीक्षा नियत्रंक
हे0न0ब0चि0शि0 विश्वविद्यालय